भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3193

7 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एएचपी आवास

†3193.श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत पूर्ण हो चुके भागीदारी में किफायती (एएचपी) आवासों में जल, स्वच्छता, सीवरेज, बिजली और सड़क सहित अपर्याप्त अवसंरचना के कारण अधिभोग बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक स्वीकृत, पूर्ण और अधिभोग वाले आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समस्या से निपटने के लिए किए गए/किए जा रहे हैं उपाय क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 112.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 14.07.2025 तक, 93.61 लाख आवास पूर्ण हो चुके है/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा

चुके हैं। दिनांक 14.07.2025 तक, पीएमएवाई-यू के एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए कुल आवासों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन कार्य पद्धति में कोई बदलाव किए बिना, स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार एएचपी परियोजनाओं को पूरा करने में आम तौर पर 24-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा करने की समय सीमा विभिन्न कारकों जैसे बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि पर निर्भर करती है। एएचपी परियोजनाओं में परियोजना स्थल तक पानी, स्वच्छता, सीवरेज, बिजली, सड़क आदि सहित नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। परियोजनाओं को तभी पूरा माना जाता है जब सभी संबंधित नागरिक सुविधाओं का निर्माण हो जाता है और तत्पश्चात आवासों को पात्र लाभार्थियों को सौंपा जाता है। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और प्राथमिकता के आधार पर सौंपे गए आवासों में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करके स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

*****

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्नसंख्या 3193 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए कुल आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)			
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	सौंपे गए
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	2,68,050	2,68,050	2,42,946	1,53,715
2		बिहार	-	-	-	-
3		छत्तीसगढ	38,097	37,673	31,392	17,640
4		गोवा	-	-	-	-
5		गुजरात	1,26,423	1,26,267	1,15,845	85,580
6		हरियाणा	-	-	-	-
7		हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
8		झारखंड	31,693	14,246	3,424	1,099
9		कर्नाटक	2,74,156	2,14,067	1,24,183	85,358
10		केरल	970	938	530	429
11		मध्य प्रदेश	49,214	49,014	37,705	26,083
12		महाराष्ट्र	2,02,009	1,72,498	87,190	41,989
13		ओडिशा	9,320	6,312	5,258	1,269
14		पंजाब	570	426	426	124
15		राजस्थान	27,396	25,701	12,374	7,759
16		तमिलनाडु	1,40,338	1,40,338	1,12,154	63,980
17		तेलंगाना	1,59,372	1,46,321	1,34,925	92,053
18		उत्तर प्रदेश	64,890	61,817	50,030	17,199
19		उत्तराखंड	15,960	15,944	5,424	1,960
20		पश्चिम बंगाल	3,542	1,906	792	112
उप-योग (राज्य)			**14,12,000**	**12,81,518**	**9,64,598**	**5,96,349**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
22		असम	-	-	-	-
23		मणिपुर	-	-	-	-
24		मेघालय	-	-	-	-
25		मिजोरम	-	-	-	-
26		नागालैंड	-	-	-	-
27		सिक्किम	-	-	-	-
28		त्रिपुरा	-	-	-	-
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**-**	**-**	**-**	**-**

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)			
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	सौंपे गए
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	329	329	33	-
30		चंडीगढ़	-	-	-	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1,531	1,531	1,531	1,194
32		दिल्ली	-	-	-	-
33		जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
34		लद्दाख	-	-	-	-
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	-	-	-	-
उप कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**1,860**	**1,860**	**1,564**	**1,194**
कुल			**14,13,860**	**12,83,378**	**9,66,162**	**5,97,543**

*****